कार्यालय–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीमच जिला नीमच (म.प्र.)

--:विज्ञप्तिः--

क्रमांक...2021.../2022 नीमच, दिनांक...21.../07/2022

मध्यप्रदेश शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग के **ज्ञापन** 1560/2022/21–ब(दो) भोपाल, दिनांक 19.04.2022 एवं ज्ञापन क्रमांक 1834/2022/21–ब(दो) भोपाल, दिनांक 13.05.2022 के द्वारा **जिला मुख्यालय नीमच की तहसील मनासा, रामपुरा, रतनगढ़ में श्री हरिशचन्द्र देपुरा अधिवक्ता नोटरी मनासा, श्री माणकलाल सोनी अधिवक्ता नोटरी रामपुरा एवं श्री प्रेमसागर अधिवक्ता नोटरी रतनगढ़ की मृत्यु हो जाने से कमशः 01–01** नवीन नोटरी पद आवंटित किये गये है। जिसके फलस्वरूप उक्त पदों की नियुक्ति हेतु नोटरी नियम 1956 के नियम 4, 6 एवं 7 के एवं अधिनियम के नियम 6 एवं संशोधित नियम 7 (1) प्रावधानों के अंतर्गत उक्त पदों पर नोटरी नियुक्ति हेतु पैनल प्रेषित किया जाना है।

अतः उक्त पदों पर नियुक्ति हेतु इच्छुक अधिवक्तागण, जो नोटरी नियम 1956 के नियम 6 एवं 7 एवं उक्त अधिनियम के नियम 6 एवं संशोधित नियम 7 (1) के अंतर्गत आवश्यक अर्हता रखते हो, से निर्धारित प्रारूप–1 पर आवेदनपत्र आमंत्रित किये जाते हैः–

1– आवेदक आवेदनपत्र की तिथि पर कम से कम 10 वर्ष से विधि व्यवसाय के रूप में कार्यरत रहा हो।

2– महिला एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग का सदस्य कम से कम 07 वर्ष से विधि व्यवसाय के रूप में कार्यरत रहा हो।

3– आवेदन पत्र के नियम 04 के उपनियम–3 में उल्लेखित अनुसार निर्दिष्ट व्यक्ति के प्रतिहस्ताक्षरित हो।

4– आवेदक जिस स्थान के नवीन पद के लिये आवेदनपत्र कर रहा हो वहां का स्थायी मूल निवासी होना चाहिये।

5– नोटरी के पद पर नियुक्ति के फलस्वरूप आवेदक किसी अन्य शासन के लाभ के पद पर कार्यरत नही रहेगा अथवा त्यागपत्र देने संबंधी घोषणापत्र भी प्रस्तुत करेगा।

6– आवेदक का कार्य, व्यवहार एवं आचरण के संबंध में आवश्यक प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करेगा।

7– अधिवक्ता परिषद के पंजीयन प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि।

8– विधि स्नातक की उपाधि की सत्यापित प्रतिलिपि।

9– आवेदक के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण विचाराधीन रहा होने अथवा नही होने के संबंध में एवं पुलिस अधीक्षक के द्वारा चरित्र सत्यापन सहित जानकारी प्रस्तुत करेगा।

उपरोक्तानुसार स्थान मनासा/रामपुरा/रतनगढ़ के नवीन नोटरी पद के लिये अर्हता एवं दस्तावेज रखने वाले अधिवक्तागण/आवेदकगण **दिनांक 10/08/2022** तक निर्धारित प्रारूप पर तीन प्रति में आवेदनपत्र मय संबंधित दस्तावेजों सहित अध्यक्ष अभिभाषक संघ, मनासा/रामपुरा/जावद टप्पा रतनगढ़ के माध्यम से इस कार्यालय में प्रेषित करें।

उक्त अवधि गुजरने के पश्चात अथवा त्रुटिपूर्ण आवेदनपत्र प्रस्तुत होने की दशा में उस पर विचार नही किया जावेगा।

मेरे हस्ताक्षर से **आज दिनांक...20.../07/2022** को जारी की गई।

20/7/22

(सुशांत हुद्दार)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
नीमच (म.प्र.)

प्रारूप कमांक –1

अभ्यावेदन

1– आवेदक का नाम :–

2– पिता का नाम :–

3– जन्मतिथि :–

4– क्या SC/ST/OBC/सामान्य है :–

5– पता (निवासीय) :–
टेलीफोन :–
फैक्स :–
ई–मेल :–

पता कार्यालय :–
पिन :–
टेलीफोन :–
फैक्स :–
ई–मेल :–

6– शैक्षेणिक अर्हताए :–
(कृपया प्रमाणित प्रतियां
संलग्न करें)

7– नामांकन संख्या और तिथि :–
(कृपया प्रमाणित प्रतियां
संलग्न करें)

8– निम्न में जीविकोपार्जन
सिविल साईड :–
आपराधिक साईड :–
टेक्सेशन :–
राजस्व न्यायालय :–

9– क्या आयकर दाता है :–

10– Showeth का ज्ञापन (बडे अक्षरों में आवेदन का नाम)

नामः—..

1. कि ज्ञापनकर्ता नोटरी अधिनियम, 1952 और नोटरी नियम, 1956 के नियम 3 के खण्ड (क) के अधीन नोटरी के रूप में नियुक्ति के लिये योग्य साबित है,
2. कि ज्ञापनकर्ता जिला एवं सत्र न्यायालय प्रांगण नीमच में निवास करता है और ताउम्र तक निवास करेगा
3. कि स्थानीय क्षेत्र में अभ्यासरत नोटरियों की संख्या उसकी अपेक्षाओं के लिये अपर्याप्त है (विवरण के आधार पर जोडे जाने चाहिये)

4. कि ज्ञापनकर्ता के किसी पूर्व आवेदन को गत छः माह के भीतर अस्वीकृत नही किया गया या उसके द्वारा प्रत्याहरित नही किया गया,

इसलिये ज्ञापनकर्ता प्रार्थना करता है कि सरकार उसे नीमच तहसील व जिला नीमच म.प्र. में अभ्यास करने के लिये नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का संख्यांक 53) और नोटरी नियम, 1956 के नियम 3 के खण्ड (क) के अधीन और उसके प्रभाव से नोटरी के रूप में उसे नियुक्त और प्रविष्ट करें।

दिनांक ....

आवेदक के हस्ताक्षर

क. स	हस्ताक्षरकर्ताओं के नाम और पते	व्यवसाय	फर्म / संगठन का नाम और पता	मोहर के साथ हस्ताक्षर
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
5				

टिप्पणी— नियम 4(3) के अधीन, ज्ञापन मजिस्ट्रेट, राष्ट्रीयकृत बैक के प्रबंधक, व्यवसायी और क्षेत्र के दो प्रतिष्ठित निवासियों द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाना चाहिये, जहां वह नोटरी के रूप में जीविकोपार्जन करना चाहता है

हस्ताक्षर